बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समति गोपालगंज।

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के पत्रांक–236, दिनांक–19.03.2018 द्वारा निर्गत निविदा सूचना के कंडिका 1 में अंकित है–

निविदादाताओं को 15 पंचायत के प्रखण्ड हेतु 05 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखण्ड के लिए 08 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर /पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना नाम से अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। सभी व्यावसायिक वाहनों का विहित प्रपत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र, वाहन का प्रदूषण पमाण पत्र, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का परमिट प्रमाण पत्र एवं वाहन का टैक्स टोकन/चलान का प्रमाण पत्र, की छायाप्रति को जिला परिवहन पदाधिकारी से सत्यापित कराकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा वाले गाड़ी से ही खाद्यान्न का उठाव किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना एकरारनामा वाले गाड़ी से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जायेगा।

निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना के पत्रांक–2226, दिनांक–20.11.2017 के कंडिका 1 के आलोक में उपरोक्त निविदा विज्ञापन के कंडिका 1 को निम्नवत पढ़ा जाय–

निविदादाताओं को 15 पंचायत तक के प्रखण्ड हेतु 05 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन एवं 15 पंचायत से अधिक प्रखण्ड के लिए 08 ट्रैक्टर/पिकअप/अन्य छोटी वाहन, वाहन की उपलब्धता का लिखित एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा कि चयन होने की स्थिति में वे वाहन मालिक अपने ट्रैक्टर /पिकअप/अन्य छोटी वाहन को उस प्रखण्ड में मध्याह्न भोजन योजना **के खाद्यान्न उठाव/वितरण हेतु उपलब्ध कराएगें। इनमें से दो वाहन स्वयं निविदादाता के नाम से होना** अनिवार्य होगा तथा शेष वाहनों का एकरारनामा खाद्यान्न उठाव एवं वितरण हेतु उपलब्ध करायेंगे। सभी व्यावसायिक वाहनों का विहित प्रपत्र में जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर वाहनों का बीमा प्रमाण पत्र, वाहन का प्रदूषण पमाण पत्र, वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का परमिट प्रमाण पत्र एवं वाहन का टैक्स टोकन/चलान का प्रमाण पत्र, की छायाप्रति को जिला परिवहन पदाधिकारी से सत्यापित कराकर निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा वाले गाड़ी से ही खाद्यान्न का उठाव किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में बिना एकरारनामा वाले गाड़ी से खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जायेगा।

शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

21/03/18

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना
–सह–
सदस्य सचिव संवेदक चयन समिति, गोपालगंज।

21/03/18

जिला पदाधिकारी
–सह–
अध्यक्ष, संवेदक चयन समिति,
गोपालगंज।